तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महंत रामेश्वर गिरी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 31/2023	
23-01-2023	अपीलार्थी महंत रामेश्वर गिर, पता फतेहगिरीजी का धुना, ग्राम रोहिला कला पोस्ट झंवर, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.11.2022 में (1) 29.09.22 को जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय मे अवैध कट्टर बंद करवाने हेतु रजिस्टर्ड पत्र के जरिये परिवाद भेजा उस परिवाद पर की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रावली उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 31 दिनांक 11.01..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कार्यालय का पत्रांक 2192 दिनांक 23.11.2022 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु सूचना न्यायिक अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में धारा 5(5) के तहत इन्हें लोक सूचना अधिकारी मानते हुए , प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिये जाने की इस्तदुआ की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, न्यायिक अनुभाग कार्यालय हाजा) को निर्देशित किया जाता है कि कि अपीलार्थी/प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	